

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 99 / 2021

उनवान

- 1- श्री किशन पुत्र नन्दा मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
2- श्री सोजी पुत्र नन्दा मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- श्री प्रहलाद पुत्र श्री रामकरण मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा 2- श्री मांगीनाथ पुत्र श्री कजोड नाथ निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा 3- श्री शंकर नाथ पुत्र श्री लादू नाथ निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा 4- श्री रामपाल पुत्र श्री रूपा मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा 5- श्री रमेश पुत्र श्री जगदीश मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा 6- श्री कान्ता पत्नी श्री लालाराम मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा 7- श्री शैतान पुत्र श्री मांगीलाल मीणा निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा 8- श्री उदा पुत्र श्री मांगु धोबी निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा 9- श्री देवीलाल पुत्र श्री रघुनाथ धोबी निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा 10- श्री गंगाराम पुत्र श्री बालु जाट निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अक्षयराज रेबारी
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 07/07/2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1877 रकबा 0.43 है०, 1991 रकबा 0.12 है०, 1994 रकबा 0.50 है०, 1995 रकबा 0.03 है०, 1996 रकबा 1.21 है०, 253 रकबा 0.03 है०, 408 रकबा 0.04 है०, 411 रकबा 0.06 है०, 413 रकबा 0.22 है०, 414 रकबा 0.04 है०, 415 रकबा 0.42 है०, 416 रकबा 0.22 है०, 417 रकबा 0.03 है०, 418 रकबा 0.02 है० कुल कित्ता 14 रकबा 3.37 हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं० के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम अरनिया रासा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा अरनिया रासा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 14 रकबा 3.37 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1500/- रुपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.